सांचेका स0–14 / डी0एल0ए0 (बी0आर0बी0सी0एल0)–औरंगाबाद–~~212~~ 221 / 2012–.....87..... / रा0 पटना, दि0–..11 / 01 / 2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू–अर्जन निदेशालय
बिहार, पटना

अधिसूचना

तारीखः– 2012

सं0 .... आर0

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गॉव–**कजराईन, थाना–59,** परगना–**कुटुम्बा,** थाना–**नवीनगर**, जिला– **औरंगाबाद** में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात **नवीनगर थर्मल पावर परियोजना (बी0आर0बी0सी0एल0)** के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गॉव **कजराईन** के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश जो **3.6775** एकड़ के बराबर होता है और जिसकी अधिकृत खेसरा सं0 एव चौहद्दी निम्न प्रकार हैः–

अधिकृत खेसरा सं0– **अंश**– 1

उत्तरः– खेसरा सं0 1

दक्षिणः– खेसरा सं0 1

पूरबः– खेसरा सं0 1

पश्चिमः– खेसरा सं0 1

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधो के अधिन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन् 1984 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यालय में देखा जा सकेगा। समाहर्त्ता औरंगाबाद, भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद और उनके कर्मचारीयों तथा इस परियोजना से संबद्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे **नवीनगर थर्मल पावर परियोजना (बी0आर0बी0सी0एल0)** के पदाधिकारियों और कर्मचारियो को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निश्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम को धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5A (2) के उपबंध लागू नहीं होगें।

समाहर्त्ता
औरंगाबाद।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक संख्या–14/डी0एल0ए0 (बी0आर0बी0सी0एल0)–औरंगाबाद–221/2012– 87/रा० दि0– 11-01-13

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0 डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, औरंगाबाद को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

9/1/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।